तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.2020	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 40/2020 अनवान भील समाज विकास समिति लूणी बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम सिनली के ख.नं. 81/30 रकबा 0.10 बीघा की राजस्व नक्शे में तलाब के पास की गई तरमीम को अवैध व शून्य घोषित की जाकर निरस्त करने व श्री नागणेची माता मन्दिर की तरमीम सिनली से धवा जाने वाली सड़क के नजदीक भीलो की ढाणियों के पास जहां उक्त मन्दिर बना हुआ हैं की जाकर नक्शे को दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार लूणी को प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच रिपोर्ट तहसीलदार लूणी से करवायी गई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार लूणी एवं हल्का पटवारी सुबदण्ड की रिपोर्ट दिनांक 13.12.2019 के अनुसार ग्राम सिनली के खसरा नं. 81/31 रकबा 2.00 बीघा गे.मु.जागा एवं खसरा नं. 81/30 रकबा 0.10 बीघा किस्म गे.मु.मन्दिर राजस्व रिकर्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, आवंटन प्रस्ताव, आदेश से जांच की गई जिसमें प्रस्तावित स्थल का नजरी नक्शा नहीं है। किन्तु दोनो आवेदन एवं प्रस्ताव भील समाज हेतु मन्दिर एवं जागा आवंटन के हैं। पुराना मन्दिर व जागा जहां स्थित है वहां तरमीम नहीं की हुई हैं। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट पत्रावली में शामिल मिसल हैं। तहसीलदार लूणी ने रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में संकेत ए, बी, सी अनुसार तरमीम दुरूस्ती फरमाने एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य का कथन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि माफिक रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2019/3704 दिनांक 13.12.2019 के सलग्न नजरी नक्शे में संकेत ए, बी, सी अनुसार तरमीम दुरूस्ती एवं आवश्यक इन्द्राज करे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। 05/03/20	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी लूणी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner